1

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2019/CE/77582–682 दिनांकः 20/9/18

मुख्य परीक्षा 2019 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/संघठक महाविद्यालयों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत एवं समस्त स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के मुख्य परीक्षा–2019 के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से वेबसाईट www.univraj.org से भरे जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है:–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम		बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रूपये 100/– सहित
1	(i)	बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम (पास/ऑनर्स कोर्स), बी.ए. (डीफ/डम्ब), स्वयंपाठी, नियमित एवं पूर्वछात्र, बी.एस.सी. (होम साईंस, बायोटेक), बी.सी.ए., बी.बी.ए. (वार्षिक पद्धति), बी.पी.ए./विज्यूअल आर्टस्/बी.म्यूजिक/बी.डिजाईन (पार्ट–द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ)	24.09.2018 से 09.10.2018 तक	10.10.2018 से 16.10.2018 तक
	(ii)	समस्त स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध–वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी		
2	(i)	बी.ए., बी.एस.सी. एवं बी.कॉम (पास/ऑनर्स कोर्स), बी.ए. (डीफ/डम्ब) स्वयंपाठी, नियमित एवं पूर्वछात्र, बी.एस.सी. (होम साईंस, बायोटेक), बी.सी.ए., बी.बी.ए. (वार्षिक पद्धति), बी.पी.ए./विज्यूअल आर्टस्/ बी.डिजाईन (पार्ट–प्रथम)	05.10.2018 से 20.10.2018 तक	21.10.2018 से 26.10.2018 तक
	(ii)	समस्त स्नातकोत्तर (पूवार्द्ध–वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी		
	(iii)	समस्त एकवर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान/एम.आई.बी./एम.एच.आर.एम. (पार्ट–I/II), बी.पी.एड़, डिप्लोमा परीक्षार्थी एवं बी.बी.ए. सेमेस्टर –I, III, V (ड्यू पेपर)		
	(vi)	बी.ए./बी.एस.सी. (एडिशनल), एड–ऑन कोर्सेज तथा मॉडर्न यूरोपियन लेंग्वेजेज (सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा)		

सामान्य निर्देश

1. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा।
2. परीक्षा फॉर्म दिशा–निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक भरें।
3. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
4. महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश देखें।
5. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।
6. जिन छात्रों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में नियमानुसार परिवर्तित करने हेतु निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा।
7. परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही परीक्षा फार्म जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्म ही स्वीकार होंगे।
8. विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा–2018 में परीक्षा दे चुके परीक्षार्थी पिछली कक्षा के अनुक्रमांक से परीक्षा फार्म भर सकेंगें। शेष परीक्षार्थी फ्रेश फार्म भरे। विस्तृत निर्देशों का अवलोकन करें।
9. स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर भूगोल विषय की परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है/करेंगे, उन्हें पूर्व विज्ञप्ति क्रमांकः 619–68 दिनांक 28.08.2018 के अनुसार दिनांक 31.10.2018 तक निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित शुल्क जमा करवायें। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु संबंधित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
10. परीक्षा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय वेबवाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध हैं। परीक्षा संबंधी कतिपय नियमों के लिए परिशिष्ट "अ" देखें। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हेंण्ड़बुक के संबंधित अधिनियम विश्वविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

नोटः– परीक्षा फॉर्म भरने सम्बन्धी समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 7726953531 अथवा टोल फ्री नम्बर 18001806433 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

20/9/18
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा–2019/CE/77582-682 दिनांकः 20/9/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. (i) समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स एवं प्राचार्य, संघठक/सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म सही है एवं दो प्रतियो में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजो के साथ संलग्न हैं। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण, दिशा निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in एवं www.univraj.org पर उपलब्ध है। **विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड़ आवश्यक रूप से अंकित करें।**

   (ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट–प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों एवं आवांटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्य द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना होगा।

   (iii) **माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें।**

   (iv) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रू. 8/– प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालयों को देय होगा।

   (v) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन–पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी गई है। यदि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे – परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन–पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन–पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रखें तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय पूर्व में उत्तीर्ण आवश्यक अकंतालिकाएँ आदि संलग्न हो। उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेवार होगा।

2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा–2019 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का श्रम करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जयपुर एवं दौसा सहित सातों जिलों (अलवर, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनू एवं धौलपुर) में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
5. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई, बैंक, बापू नगर ब्रांच, विश्वविद्यालय केम्पस, जयपुर।
6. प्रबन्धक, एक्सिस बैंक लि., ओ–15, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर– 302001
7. प्रबन्धक, एच.डी.एफ.सी. बैंक लि., जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त उप–कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक –द्वितीय/सेलर– I, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. उप कुलसचिव, सैलर–द्वितीय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बिन्दू संख्या–1 (ii) के अनुसार विश्वविद्यालय वाहनो द्वारा परीक्षा फार्म एकत्रित करवाने की व्यवस्था करवायें।
11. निदेशक, छात्र सलाहकार केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

उप कुलसचिव (परीक्षा)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

मुख्य परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. **ऑनलाईन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन–पत्र**

(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाईट www.univraj.org पर संबंधित कक्षा की श्रेणी (यथा नियमित/नॉन कोलेजिएट/पूर्व छात्र) का चयन कर अध्ययन किये गये विषयों का चयन करते हुये परीक्षा फॉर्म भरेंगे।

(ब) फार्म ऑनलाईन पूर्ण भरने के पश्चात् भरे गये फार्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फार्म प्रिंट नहीं होगा केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक अथवा एच.डी.एफ.सी. बैंक अथवा एक्सिस बैंक पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड (एटीएम)/क्रेडिट कार्ड से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क जमा होने के बाद परीक्षा फार्म का प्रिंट (दो प्रतियों में) ले सकेंगें। **परीक्षार्थी ध्यान रखें:–**

(I) **यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मान कर प्रारम्भ से नया परीक्षा फॉर्म भरें।**

(II) **परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाऐं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढें।**

(III) **एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।**

(IV) **यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रान्जेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही अगले 07 कार्य दिवस में उसी खाते में संभव होगी, जिस खाते से शुल्क जमा हुआ था।**

(V) एक्सिस बैंक हेल्प लाईन नं. 8875000101, 102, 103 एवं 0141–4061108, 24, 42
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक हेल्प लाईन नं. 9828026725,
एच.डी.एफ.सी. बैंक हेल्प लाईन नं. 022-33557000/33096006 after calling press 132211
pghelpdesk@hdfcbank.com

(स) शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि राजकीय मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

(द) दो प्रतियों में परीक्षा फार्म की हार्ड कोपी पर यथा स्थान हस्ताक्षर कर मय आवश्यक दस्तावेजों, पूर्व में उत्तीर्ण अंकतालिकाओं आदि के साथ परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात् अगले दो कार्य दिवसों में, परीक्षा फार्म पर अंकित संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा।

(य) चारों संघटक महाविद्यालयों (राजस्थान कॉलेज (446), महाराजा कॉलेज (424), कॉमर्स कॉलेज (458) एवं महारानी कॉलेज, जयपुर (379), राजस्थान इविनिंग कॉलेज (SFS), जयपुर (447), यूनिर्वसिटी कॉमर्स कॉलेज (SFS), जयपुर (602), फेकल्टी ऑफ फाईन आर्टस (471) एवं डिपार्टमेन्ट ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लेग्वेजज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क प्रवेश के समय जमा हो चुका है। अतः उनके केवल नियमित परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म बिना शुल्क जमा कराये ही सीधे प्रिंट होंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग इन प्रत्येक छात्रों के परीक्षा फार्म पर परीक्षा शुल्क का इन्द्राज करेंगे तथा कक्षावार जमा शुल्क की सूची परीक्षा फार्मों के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे।

2. विश्वविद्यालय परीक्षा–2018 में प्रविष्ठ हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नम्बर से ही भरे जा सकेंगे। इस फॉर्म की जॉच कर लें। परीक्षा आवेदन पत्र में अपना ई–मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर एवं घर के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो परीक्षार्थियों के लिए संशोधन करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

3. विश्वविद्यालय में पहली बार नामांकित होने वाले स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी पूर्वार्द्ध, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एड–ऑन कोर्सेज तथा अन्य कक्षाओं हेतु फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवदेन–पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन–पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड़ करें। ध्यान रहे अपना, पिता व माता का नाम वही भरें जैसा कि बोर्ड/विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका में अंकित है।

4. निम्न श्रेणी के परीक्षार्थी भी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगें:–

(अ) ऐसे परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा–2018 में बैठे हैं परन्तु यदि :–

(I) किसी कारणवश रोल नम्बर से परीक्षा फॉर्म ऑपन नहीं हो रहा है।

(II) आर.एल./यू.एम. घोषित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि किसी कारणवश अभी तक घोषित नहीं हुआ है अथवा डाटा अपडेट नहीं हो सका है।

(III) बी.बी.ए. सेमेस्टर–प्रथम, तृतीय एवं पंचम के ड्यू पेपर में परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले परीक्षार्थी प्रत्येक कक्षा के लिये अलग–अलग फ्रेश परीक्षा फार्म भरेंगे।

(IV) किसी कारणवश विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित/पूर्वछात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमित श्रेणी परिवर्तित कर परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले परीक्षार्थी।

(V) विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालय परिवर्तित कर अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले नियमित परीक्षार्थी।

(ब) जो छात्र मुख्य परीक्षा–2018 में सम्मिलित नहीं हुये थे ऐसे सभी परीक्षार्थी।

(स) बी.ए./बी.एस.सी. एडिशनल के सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगें। ध्यान रहे एक एडिशनल ऐसे विषय का चयन करे जिसका अध्ययन उन्होने स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।

(द) विश्वविद्यालय अधिनियम–153–बी के तहत तीन साल के अन्तराल के कारण प्रविष्ठ होने वाले परीक्षार्थी।

5. सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान अपना आधार नम्बर अंकित करना होगा।
6. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
7. जिन छात्रों ने परीक्षा 2018 में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पुनर्मूल्यांकन से उत्तीर्ण नियमित परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय अधिनियम–157–ए (14) के तहत परीक्षा परिणाम घोषित होने से 21 दिवस में अथवा दिनांक 31.12.2018 तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा अन्यथा वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
8. नवगठित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर एवं झुन्झुनू जिलों के ऐसे परीक्षार्थी जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय से दे चुके हैं, उनकी 2019 की परीक्षा के परीक्षार्थियों की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

स्नातक

(I)	उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा–2016 में अथवा इससे पूर्व वर्षो में स्नातक पार्ट–प्रथम में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा–2019 उनके जिलों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय में आयोजित होंगी। ऐसे छात्रों को पूर्व में उत्तीर्ण अनिवार्य विषयों की छूट सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा देय होगी। **इन जिलों के स्नातक पार्ट–I के नियमित/पूर्व/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं होगी।**
(II)	उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा–2018 अथवा पूर्व वर्षो में स्नातक पार्ट–द्वितीय में अनुत्तीर्ण घोषित हुए हैं। ऐसे पूर्व परीक्षार्थी/स्वयंपाठी श्रेणी के परीक्षार्थियों की परीक्षा–2019 राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी। **इन जिलों के स्नातक पार्ट–II के नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं होगी।**
(III)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–169–ई के तहत ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा–2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक पार्ट–द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुये थे वे अंक सुधार हेतु पार्ट–II परीक्षा–2019 में स्वयंपाठी/पूर्वछात्र के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
(IV)	स्नातक पार्ट–तृतीय परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय से पूर्व वर्षो में प्रविष्ठ हो चुके अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी पार्ट–तृतीय की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
(V)	स्नातक पार्ट–II परीक्षा–2018 राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण उक्त जिलों के नियमित/पूर्व/स्वयंपाठी परीक्षार्थी पार्ट–III परीक्षा–2019 में राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। **नियमित परीक्षार्थियों के लिए यह अन्तिम अवसर होगा।**
(VI)	राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–169–ई के तहत परीक्षा 2018 में स्नातक पार्ट–तृतीय राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षार्थी अंक/श्रेणी सुधार हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा–2019 में सम्मिलित हो सकेंगे।
(VII)	राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा–2016, 2017, 2018 में नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र के रूप में स्नातक पार्ट–द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी स्नातक पार्ट–तृतीय की परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्याय से प्रविष्ठ हो सकेंगे, जबकि 2016 से पूर्व के वर्षो में पार्ट–द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम–153–बी के अन्तर्गत तीन साल के अन्तराल के कारण पुनः पार्ट–द्वितीय की परीक्षा में पूर्व छात्र/स्वयंपाठी के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

स्नातकोत्तर

(I)	उक्त जिलों के ऐसे परीक्षार्थी जो मुख्य परीक्षा–2018 में स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, वे परीक्षा–2019 में विश्वविद्यालय अधिनियम–169 E-i/ii के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्मिलित हो सकेंगे।
(II)	जो छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) परीक्षा–2018 में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्मिलित हुए थे उनके ड्यू प्रश्न पत्र की परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित होगी।

9. परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देशः–

(अ) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजो के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहाँ पर जमा करवायें।

(ब) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके है उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों एवं जयपुर शहर के सम्बन्धित संघठक महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवा सकेगें। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फार्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।

(स) स्वंयपाठी परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र को परीक्षा फार्म पर अंकित महाविद्यालय में जमा करायें।

10. परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मो पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाऐगें।

11. (I) ऐसे छात्र जिन्होनें अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।

(II) राजस्थान बोर्ड/राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (माईग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका संलग्न करें।

12. जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित हैं अर्थात स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के लिए आवेदन करते है, उन्हें अपनी उतीर्ण कक्षा की अकंतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

13. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश–पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।

14. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

15. <u>महाविद्यालयों द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा फॉर्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया</u> :–
नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी ऑनलाईन शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के संबंधित महाविद्यालय (जो परीक्षा फॉर्म पर मुद्रित हैं) में जमा करवायेंगे। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मो को कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक कॉलेज लोगिन आई.डी. में Verify करके विश्वविद्यालय में/विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये प्रतिनिधियों को सुपुर्द करेंगे।

(A) **<u>महाविद्यालयों को लोगिन आई.डी./पासवर्ड तथा परीक्षार्थियों का वेरीफिकेशनः</u> –**

(अ) नवीन सम्बद्धता प्राप्त अथवा जिन महाविद्यालयों को गत वर्ष लोगिन आई.डी./पासवर्ड आवंटित नहीं हुआ है ऐसे महाविद्यालय उनको आवांटित महाविद्यालय कोड से वेबवाईट www.univraj.org के कॉलेज पोर्टल पर अपना ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर का रजिस्ट्रेशन करवायेगें। तत्पश्चात् उन्हें महाविद्यालय लॉगइन आई.डी. एवं वन टाईम पासवर्ड (One Time Password) उनके पंजीकृत मोबाईल/ई–मेल आई.डी. पर उपलब्ध कराया जायेगा। महाविद्यालय अपना नया पासवर्ड बदलने के ऑप्सन पर अपना नया पासवर्ड उसी वेबसाईट पर अपने स्तर पर बदल सकेंगे।

(ब) ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा फॉर्मो की हार्ड कॉपी को कक्षा एवं श्रेणीवार उसी वेबसाईट के कॉलेज पोर्टल पर प्रत्येक छात्र के फॉर्म को Verify बटन पर Verify करें। संबंधित कक्षा के सभी फॉर्म Verify होने के पश्चात् प्रिंट ऑपशन पर जाकर Nominal Roll का प्रिंट लें। तत्पश्चात् Nominal Roll लिस्ट के क्रम के अनुसार ही संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉमों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को सुपूर्द करें/स्वयं जमा करवायें।

(स) महाविद्यालय ध्यान रखें– उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किये जा सकेंगें।

(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नात्तक पार्ट–प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों एवं आवांटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(C) सम्बन्धित महाविद्यालय सुनिश्चित रहें कि पूर्व परीक्षार्थियों (Ex-Student) के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे। शपथ पत्र के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।

13/02 2019 Rev [illegible]

(D) ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके है उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों एवं जयपुर शहर के सम्बन्धित संघठक महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवायेंगे। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फार्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।

(E) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष सुनिश्चित कर लें। कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की सूची विश्वविद्यालय को यथा समय आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगें। ताकि ऐसे छात्र नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।

(F) ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा शुल्क के परीक्षा फार्मो को ही स्वीकार करें। अन्य किसी माध्यम से जमा शुल्क के परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं करें। यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(G) सम्बन्धित महाविद्यालयों से परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा निम्न तिथियों में संकलित किये जायेंगे:–

1. दौसा एवं जयपुर (ग्रामीण) जिले के परीक्षा फार्म हेतु वाहन की व्यवस्था:–
   अ. दिनांक 12.10.2018 तक महाविद्यालयों में सकंलित परीक्षा फार्म–दिनांक 23.10.2018 को
   ब. शेष सभी परीक्षा फार्म – दिनांक 28.10.2018 को।
2. जयपुर शहर के सभी महाविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा फार्मो को उपरोक्त तिथियों में विश्वविद्यालय में जमा करवायें। जिसका यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुन्झुनू एवं सीकर जिलें के महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मो को व्यवस्थित कर अपने स्तर पर विश्वविद्यालय के संबंधित अनुभागों में जमा करवायेंगे, इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा टी.ए./डी.ए. देय नहीं होगा। ध्यान रहे इन जिलों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधी/वाहन, परीक्षा फॉर्म संग्रहण हेतु नहीं भेजे जायेंगे।
4. बी.बी.ए. सेमेस्टर परीक्षा के परीक्षा फार्म पृथक लिफाफे (जिस पर बी.बी.ए. सेमेस्टर परीक्षा अंकित हो) में बंद कर अनुभागाधिकारी परीक्षा–4–ब (कमरा नं. 115) को अपने स्तर पर दिनांक 28.10.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाये। जिसका यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. स्नातक (डीफ एण्ड डम्ब) के परीक्षा फार्म पृथक से अनुभागाधिकारी परीक्षा–4–अ (कमरा नं. 128) में जमा करवायें।
6. एड़ऑन कोर्सेज, एम.ई.एल. एवं अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के परीक्षा फॉर्म पृथक से संबंधित अनुभागाधिकारी को जमा करवायें।

नोट:– महाविद्यालय लॉगईन करने एवं परीक्षा फार्म Verify करने सम्बन्धी समस्या के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 18001806433 एवं 7726953531 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

16. परीक्षा 2019 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्टस बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है:–

I- FEE PAYABLE FOR UG COURSES EXAM. 2018-19

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.Des. Pt-I and Add-On Certificate (If already enrolled)	1200/-	1480/-	2140/-	1000/-	3140/-
2	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc.(Bio-Tech) /B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA/B.Des. Pt-I (If not enrolled) A- Non Rajasthan Board Students	1740/- (Including Enrl. 280 +Elg. 280	1480/-	2670/- (Including Enrl. 280 +Elg. 280	1000/-	3670/-
	B- Rajasthan Board Students	1480/- (Including Enrl. 280	--	2400/- (Including Enrl. 280	1000/-	3400/-
3	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.P.A./B.Des. Pt-II and Add-On Diploma	1200/-	1480/-	2270/-	1000/-	3270/-
4	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.P.A./B.Des. Pt-II (With due paper of Pt-I)	1610/-	2010/-	3210/-	1000/-	4210/-
5	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./P.B.A./B.Des. Pt-III/IV and Add-On Post Diploma & Additional (For NC) (If already enrolled)	1740/-	2010/-	2810/-	1000/-	3810/-
6	B.A./B.Sc. Additional (If not enrolled)	--	--	3340/- (Including Enrl. 280 +Elg. 280	1000/-	4340/-

7	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/ B.Sc. Home Sc. Pt-III (Ord. 169 E)	--	2270/-	2810/-	1000/-	3810/-
8	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus. Pt-III/IV (With due paper of Pt-I)	2180/-	2530/-	3870/-	1000/-	4870/-
9	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.Des. Pt-III/IV (With due paper of Pt-II)	2220/-	2610/-	4000/-	1000/-	5000/-
10	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/B.Mus./B.Des. Pt-III (With due paper of Pt-I & II)	2610/-	3010/-	4930/-	1000/-	5930/-
11	BVA/B.Mus./B.Des. Pt-IV (With due paper of Pt-I, II & III)	2670/-	3940/-	--	--	--
12	Fees for Physically Challanged Students (for above all categries)	350/-	410/-	810/-	1000/-	1810/-

II- FEE PAYABLE FOR PG ANNUAL COURSES EXAM. 2018-19

S. No.	Name of Exam	Regular	Ex. Student	Non-Collegiate	Vimarsh Shulk for NC	Total Fees for NC
1	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.)/All (PG) Diploma and DCWA (If already Enrolled)/Ord. 169 E-I	1540/-	1740/-	2530/-	1000/-	3530/-
2	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.) and All (PG) Diploma (If Not Enrolled)	2080/- (Including Enrl. 280 +Elg.280)	-	3070/- (Including Enrl. 280 +Elg.280)	1000/-	4070/- (Including Enrl. 280 +Elg.280)
3	M.A./M.Sc./M.Com.(Final)/Addl/DCWA Pt-II/III/ Ord. 169/E-(1)/0.215/0.238/0.250	1940/-	2140/-	3270/-	1000/-	4270/-
4	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (With due papers of Prev. /Ord.169-E (11)	2480/-	2670/-	4540/-	1000/-	5540/-
5	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) /(Ord. 169 E-II /Due Papers of Final only)	-	1540/-	2530/-	1000/-	3530/-
6	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (Due Papers of Prev. only)	-	1480/-	3070/-	1000/-	4070/-
7	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 169-D)	-	3470/-	4540/-	1000/-	5540/-
8	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	-	-	4670/-	1000/-	5670/-
9	Fees for Physically Challanged Students (for above all categries)	540/-	610/-	880/-	1000/-	1880/-

III- FEE PAYABLE FOR PROFESSIONEL COURSES EXAM. 2018-19

S. No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1	Certificate Course in Yoga Edu.	1340	1410
2	B.Lib. & Info. Sc.	1740	1870
3	M.J.M.C. (Previous)	1740	1740
4	M.J.M.C. (Final)/P.G. Dip. In Yoga Ed./P.G. Dip. In Dramatics	1870	1870
5	Fees for Physically Challanged Students (for above all categries)	540/-	610

IV-ENROLLMENT AND ELIGIBILITY FEES FOR SESSION 2018-19

S.No.	Enrollment Fee & Eligibility Fee	Fee for Session 2018-19
1	**Enrollment Fee**	280/-
2	**Eligibility** Fee (For those candidates who have passed their qualifying exam. from other than the Board of Sec. Edu. Rajasthan)	280/-

V- FEE PAYABLE FOR B.B.A./B.Voc. SEMESTER SCHEME EXAM. 2018-19

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1	B.B.A./B.Voc. I-Semester	1610/-	2010/-
2	B.B.A./B.Voc. II-Semester	1610/-	2010/-
3	B.B.A./B.Voc. III-Semester	1610/-	2010/-
4	B.B.A./B.Voc. IV-Semester	1610/-	2010/-
5	B.B.A./B.Voc. V-Semester	1610/-	2010/-
6	B.B.A./B.Voc. VI-Semester	1610/-	2010/-
7	For Handicapped Students Only	440/-	830/-
8	For one due Paper	810/-	940/-
9	For more then one due Paper	1610/-	1610/-

In addition to above Exam. fee Rs. 130/- Per Practical Examination be charged from the Regular Student, Ex-Student & Non-Collegiate Students appearing in UG/PG and Professional Examinations for the Session 2018-19 excluding the Elementary Computer application in UG Part-I.

Note: **1** Every regular student will deposit Development fee of Rs. 50/- and Sports Board fee of Rs. 50/- in the respective colleges in addition to above exam fees.

2 शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबधं में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र जो कि मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

3 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबन्धित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

20/9/18
परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ठ–अ

अ–स्नातक परीक्षा हेतु कतिपय नियम

(विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय हेंण्ड़बुक के संबंधित अधिनियम देखें जा सकते हैं, जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर उपलब्ध है)

1. अधिनियम–176 के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि से ठीक 2½ वर्ष पूर्व से जयपुर एवं दौसा जिले के निवासी ही स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें। इस आशय का प्रमाण–पत्र परीक्षा फॉर्म के साथ देना होगा। उक्त प्रावधान से निम्नलिखित को छूट मिलेगी।
   (अ) ऐसे सरकारी कर्मचारियों के आश्रित जिनका स्थानान्तरण दौसा एवं जयपुर जिले में हुआ हो।
   (ब) ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से उक्त जिलों में निवास करने लगे हों।
   (स) उक्त जिलों के मूल निवासी (Bonafide permanent resident)।
   (द) ऐसे रक्षा बल (Defence Personnel) जो उक्त जिलों में परीक्षा फॉर्म भरने के दिनांक को पदस्थापित हों।
2. अधिनियम–170–ए के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये विद्यमान होगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय–समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।
3. अधिनियम–175 के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थीयों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं हैः– टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाईजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्यूकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्यूनिकेशन।
4. स्नातक स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी व सामान्य अंग्रेजी तथा नियमित छात्रों को सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
5. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रयोगिक परीक्षा का प्रावधान है की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें संबंधित विषय का प्रयोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण–पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा। अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें।
6.. अधिनियम–81–I (A) के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट–I उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदल कर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट–I में 45% अंक होना अनिवार्य है। सांयकालीन (SFS) महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त परीक्षार्थियों को इस अनिवार्यता से छूट मिलेगी। कॉलेज शिक्षा प्रवेश नीति के अनुसार महिलाओं को भी 45% की अनिवार्यता से छूट मिलेगी।
7. विश्वविद्यालय अधिनियम–86–B (I) तथा 177 के अनुसार विश्वविद्यालय सिंडिकेट से समकक्षता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा ऑटोनोमस महाविद्यालय से स्नातक पार्ट–I उत्तीर्ण छात्र पार्ट–II की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु :–
   (1) ऐसे छात्र उन्हीं वैकल्पिक विषयों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें, जिनका चयन पार्ट–I में किया था। परन्तु अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दीं, सामान्य अंग्रेजी से छूट मिलेगी, परन्तु अनिवार्य विषय पर्यावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक कम्प्यूटर यदि पार्ट–I के साथ उत्तीर्ण नहीं किये हों तो उनकी परीक्षा देनी होगी।
   (2) ऐसे छात्रों की डिवीजन का निर्धारण पार्ट–II/III में प्राप्तांकों के आधार पर होगा तथा उन्हें दो वर्षीय उपाधि प्रदान की जावेगी।
8. अधिनियम–144 के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिये 75% उपस्थिति अनिवार्य है। 75% से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें।
9. स्नात्तक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है।
10. स्नात्तक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परसियन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।
11 स्नात्तक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में पुरूष परीक्षार्थियों को गृह–विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
12. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन नियमित/स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते है।
13. स्नातक नियमित/स्वयंपाठी परीक्षा में विश्वविद्यालय अधिनियम 153–B के अनुसार पार्ट–I/II में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात् अगली कक्षा पार्ट–II/III की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उन्हें पुनः उसी कक्षा में सम्मिलित होना होगा, परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।

6/02 2019

14. श्रेणी/अंक सुधार – स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट– I/II/III उत्तीर्ण परीक्षार्थी अधिनियम–169–ई(i) के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें। यह ध्यान रखें कि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषयों (यदि हो) की परीक्षा पुनः देनी होगी।
15. अधिनियम–193–C (i) के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा एक प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोडे जावेगें।
16. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार **नॉन कॉमर्स** परीक्षार्थियों को बी.कॉम. पार्ट– I में अतिरिक्त अनिवार्य विषय बुक कीपिंग एण्ड अकाउन्टेन्सी की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।
17. स्नातक ऑनर्स, बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिये ही लागू है।
18. पूर्वछात्र (Ex-Student):– अधिनियम–164 के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो संबंधित कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्वछात्र (Ex-Student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होगें, उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्व छात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होगें जहॉ के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
19. अधिनियम–182 के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जावेगा।
20. अधिनियम–168–ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रीयों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाऐं निरस्त करने का प्रावधान है।
21. बी.ए./बी.एस.सी. एडीशनल परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हें एडीशनल विषय के पार्ट– I/II एवं III के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे।
22. अधिनियम–169–H के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/ अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

ब–स्नातकोत्तर परीक्षा–2019 हेतु कतिपय नियम

23 स्नातक परीक्षा के उपरोक्त बिन्दु संख्या 1, 2, 5, 8, 19, 20 व 22 स्नातकोत्तर परीक्षा मे भी लागू होंगे।

24 एम.ए./एम.एस.सी. (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप मे परीक्षा फार्म भर सकते है। बी.टेक उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी./मेथेमेटिक्स के लिऐ आवेदन पत्र नहीं भरें।

25 श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान :–

(i)	विश्वविद्यालय अधिनियम 169–ई–(i) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/ उतरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा–2018 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/ अंक सुधार हेतु परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न–पत्र सहित) सभी प्रश्न–पत्रों में परीक्षा देनी होगी।
(ii)	विश्वविद्यालय अधिनियम 169–ई–(ii)– स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उतरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा–2018 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न–पत्र (सैद्धान्तिक) में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों में अंक सुधार की सुविधा नहीं है।
(iii)	विश्वविद्यालय अधिनियम 169–डी – राजस्थान विश्वविद्यालय से पिछले वर्षो में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी, पूर्वार्द्ध और उतरार्द्ध के सभी विषयों (विज्ञान विषय मे सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न–पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
(iv)	विश्वविद्यालय अधिनियम 179 – राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षो में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस अधिनियम के तहत प्रीवियस और फाईनल के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
(v)	एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।

20/9/18

परीक्षा नियंत्रक